संशोधन आदेश

संख्या- 13 /2019 / 373 /चार-2019 -11 (बजट)/ 2018

प्रेषक,

शिशिर
विशेष सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 11 फरवरी, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में गुरू श्रीगोरक्षनाथ शोध पीठ के निर्माण आदि कार्य हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 28 नवम्बर, 2018 में आशिंक संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-144/2018/3843/चार-2018-11(बजट)/2018 दिनांक 28 नवम्बर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संख्या-144/2018/3843/चार-2018-11(बजट)/2018 दिनांक 28 नवम्बर, 2018 में प्रस्तर-4 में टंकण त्रुटिवश लेखाशीर्षक- 4202- शिक्षा , खेलकूद , कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय- 04-कला तथा संस्कृति-106- संग्रहालय- 800-अन्य व्यय-43- पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में निर्माण कार्य हेतु -24-वृहत निर्माण उल्लिखित हो गया है" के स्थान पर " लेखाशीर्षक- 4202- शिक्षा , खेलकूद , कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय- 04-कला तथा संस्कृति 800-अन्य व्यय-43- पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में निर्माण कार्य हेतु 24-वृहत निर्माण" पढा जाय।

3- शासनादेश संख्या-144/2018/3843/चार-2018-11(बजट)/2018 दिनांक 28 नवम्बर, 2018 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(शिशिर)
विशेष सचिव

संख्या- 11 /2019/ 373 /चार-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- कुलपति, पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- इकाई प्रभारी इकाई-3, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 गोरखपुर।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/